संख्या विधि-4(3)-सामान्य प्रतिवेदन /2012-13/93/ 1314010 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

( विधि-अनुभाग )

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: दिनांक:: 22 अप्रैल,2013

## समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

# <u> उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।</u>

मुख्यालय की जानकारी में इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आए हैं कि रु0 5000/- से कम मूल्य के माल को, जो प्रान्त बाहर से बिना फार्म 38 के आयात किये जा रहे हैं, को कुछ सचल दल अधिकारी, इस कारण अभिग्रहीत कर रहे हैं कि धारा 50(1) में उल्लिखित शासकीय विज्ञप्ति इस संबंध में जारी नहीं की गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है-

1- 30प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 28-ए(1) में निम्न प्राविधान है -

### Section 28-A. Import of goods into the State against declaration .

(1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive into the State from any place without the State, any goods other than the goods exempt under clause (a) of section 4 in such quantity or measure or of such value, as exceeds

(a) (i) twenty kilograms in the case of food grains, cereals, pulses, soyabean, and all products thereof, and all raw materials including resin, rosin and oil-seeds used for extracting oils of any kind; or

(ii) rupees fifty, in the case of other goods; or

(b) *the quantity, measure or value notified by the State Government* in that behalf, in connection with business,

shall obtain the prescribed form of declaration, on payment of the prescribed fee, from the assessing authority having jurisdiction over the area where his principal place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides:

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate.

2- 30प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 50(1) में निम्न प्राविधान है -

### 50. Import of goods into the state by road against declaration

(1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive into the State from and place outside the State any goods other than the goods named any described in Schedule-I *in such quantity or measure or of such value, as may be notified by the State Government in this behalf,* in connection with business, shall either obtain the prescribed form of declaration, in such manner as may be prescribed, from the assessing authority having jurisdiction over the area, where his principal place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides or shall download from official web site of the department in such manner as may be prescribed:

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate

#### --2--

# 3- 30प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा -81(2) में निम्न प्राविधान है -

#### 81. Repeal and saving

### (2) Notwithstanding such repeal, -

(a) **any notification**, rule, regulation, order or notice issued, or any appointment or declaration made, or confiscation made, or any penalty or fine imposed, any forfeiture , cancellation or any other thing done or any action taken under the repealed enactment, and in force immediately before such commencement shall, **so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been issued, made granted, done or taken under the corresponding provisions of this Act.** (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act, shall not be affected and manufacturing units enjoying facility of moratorium for payment of tax under section 8 (2-A) of the said Act shall be entitled to claim moratorium for payment of tax in accordance with provisions of section 42 4- धारा 28-ए के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति सं0 KA.NI.-2-1977/XI-9(231)/94-U.P.Act-15-48-Order-2000(14) दिनांक 28 जन, 2000 निम्नवत्त जारी की गयी -

" In exercise of the powers under sub-section (10 of section 28-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act , 1948 (U.P. Act No. XV of 1948) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act , 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) and in suppression of Government Notification No. ST-II-2254/XI-7(159)/91-U.P. Act-15-48-Order-93 Dated June 30, 1993, the Governor is pleased to declare that with effect from July 1 , 2000, no person shall bring , import or otherwise receive into the State , in connection with business , from any place outside the State , any goods other than the goods exempt under clause (a) of section 4 of the said Act of 1948 -

- (i) of any value by truck ; or
- (ii) (ii) the value whereof exceeds in respect of gitti, mourang, sand, patia and roribadarpur one thousand rupees and in respect of other goods five thousand rupees except after complying with the provision of the aforesaid Section 28-A.

5- यह भी उल्लेखनीय है कि शासकीय विज्ञप्ति सं0 KA.NI.-2-1977/XI-9(231)/94-U.P.Act-15-48-Order-2000(14) दिनांक 28 जून, 2000 को अभी तक rescind नहीं किया गया है तथा इस कारण यह विज्ञप्ति , 30प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 81(2) के प्राविधानों के आलोक में धारा 50(1) तथा धारा 28-ए (1) के उक्त वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वैट प्रणाली में भी mutatis mutandis लागू है ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में जारी किया जा रहा है।

( योगेन्द्र कुमार ) एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश , लखनऊ

#### <u> पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिूसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
- (3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ ( दो प्रतियो में )
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,30प्र0।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र0।
- (6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ग्रेड-2, वाणिज्य कर , 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
- (17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(30न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (22) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30प्र0।
- (25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुँज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
- . (27) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय) व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफ़ा लखनऊ।
- (28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
- (32) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
- (34) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (37) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।

--4--

- (42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिंगरा वाराणसी।
- (43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)30प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (46) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
- (47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- (48) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (49) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (50) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन) को0प0 स्टेट लि0 51-बी) उद्योग नगर कानपुर।
- (53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
- (54) श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ।
- (57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,30 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0)।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, मह्यसचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।

(योगेन्द्र कुमार) एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय , उत्तर प्रदेश